



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापरा, जयपुर – 302018

क्रमांक: प.15(21)RSSB/Rules / BonusCommittee / 2026

दिनांक:

-:: प्रेस-विज्ञप्ति ::-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 20.03.2026 को जारी निर्देश के अनुसार बोर्ड द्वारा वर्तमान में विलोपित प्रश्नों एवं ऋणात्मक अंकन (Negative Marking) के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में अपनाई जा रही उत्तर पुस्तिका (OMR) मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन किया गया है। जो निम्नानुसार है :-

1. भारांकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र को भारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा।
2. प्रश्न के गलत उत्तर देने पर नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही एक तिहाई या प्रावधानुसार अंकों में कटौती की जाएगी।

उपर्युक्त संशोधित उत्तर पुस्तिका (OMR) मूल्यांकन प्रणाली बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त सीधी भर्ती परीक्षाओं एवं जिन भर्ती परीक्षाओं का अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है उन सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी।

सचिव

क्रमांक: क्रमांक: प.15(21)RSSB/Rules / BonusCommittee / 2026

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय बोर्ड।
2. निजी सहायक माननीय सदस्यगण बोर्ड।
3. निजी सहायक, सचिव, बोर्ड।
4. विशेषाधिकारी, बोर्ड।
5. विशेषाधिकारी परीक्षा परिणाम अनुभाग, बोर्ड।
6. उप सचिव कार्मिक, बोर्ड।
7. प्रभारी अधिकारी आई.टी, बोर्ड।
8. प्रभारी अधिकारी अर्थना-प्रथम/द्वितीय/तृतीय
9. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Priti Mathur

Designation : Secretary

Date :25-03-2026 10:53:44

RajKaj Ref No.:
21041072

eSign DSC